संख्या 303 / XXIII/07/11/2007देहरादून, 06 मई, 2007

अधिसूचना

आबकारी नीति 2007–08

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन! 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी, अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति घोषित करते हैं:–

यह नीति दिनांक 01 जून, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक प्रभावी रहेगी।

1– लाईसेंस फीस का निर्धारण:–

वित्तीय वर्ष 2007–08 की लाईसेंस फीस के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये निर्धारित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों की श्रेणी देशी मदिरा के लिये बल्क लीटर में एवं विदेशी मदिरा के लिये बोतलों में वित्तीय वर्ष 2006–07 की भांति स्लैबवार यथावत रखी जायेगी तथा प्रत्येक स्लैब के लिये निर्धारित लाईसेंस फीस में 16 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी एवं इसे एक हजार के पूर्णांक में (राउण्ड अप) करते हुए निर्धारित की जायेगी।

2–न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण:–

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी में वर्ष 2007–08 में निम्नानुसार वृद्धि की जायेगी:–

क्र0सं0	वर्ष 2006–07 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	वृद्धि लक्ष्य
1	जिन दुकानों पर 600 या उससे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए	20 प्रतिशत
2	जिन दुकानों पर 450 या उससे अधिक परन्तु 600 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	19 प्रतिशत
3	जिन दुकानों पर 300 या उससे अधिक परन्तु 450 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	18 प्रतिशत
4	जिन दुकानों पर 150 या उससे अधिक परन्तु 300 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	17 प्रतिशत
5	जिन दुकानों पर 50 या उससे अधिक परन्तु 150 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	16 प्रतिशत
6	जिन दुकानों पर 50 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	15 प्रतिशत

वर्ष ह2006–07 में दुकान पर अतिरिक्त उठान की राशि को दुकान के वार्षिक निर्धारित न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़का वृद्धि की गणना की जायेगी।

3– राजस्व निर्धारण:–

प्रस्तावित नीति के उपरोक्त बिन्दु–2 के अनुसार दुकानवार निर्धारित किये गये न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी तथा उपरोक्त बिन्दु–1 के अनुसार निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि को जोड़कर दुकानवार राजस्व की राशि का आगणन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान निर्धारित लाईसेंस फीस के अनुरूप श्रेणीवार अधिकतम् सीमा तक मदिरा का उठान अनुमन्य होगा, अधिकतम् सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री होने पर उस दुकान के अनुज्ञापी को लाईसेंस फीस हेतु निर्धारित अगली उच्च श्रेणी की लाईसेंस फीस देनी होगी।

4–देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के राजस्व का निर्धारणः–

बिन्दु 1, 2 व 3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व को जोड़ते हुए जनपद का वर्ष 2007–08 हेतु राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

5–देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटन :–

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित हो जाने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निजी आवेदकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से निर्धारित राजस्व पर देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप (जिसे सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा) पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 10,000/–रू0 की फीस नकद अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित राज्य एवं जिला सहकारी बैंक, अरबन कॉपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रकिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जिमा कराना होगाद्व जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्ननैस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन–पत्र शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी। प्रोसेसिंग फी राजकोष में पूर्व की भांति यथावत् जमा की जायेगी। जहां एक दुकान के लिए एक ही आवेदक हो उसे दुकान आवंटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक अपनाई जायेगी, जब तक कि समस्त दुकानें व्यवस्थापित नहीं हो जाती है,

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2007–08 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर भी चलायी जा सकती है। इसके लिये अन्य के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा आवेदन करने पर निर्धारित राजस्व के सापेक्ष दैनिक मूल्य पर दुकान संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो, उसी तहसील के स्थाई निवासियों के आावेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी या विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन के लिये सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम् राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

6—पात्रताः—

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्ते अग्रलिखित शर्तो के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2004—05 के अनुरूप होंगी किन्तु अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण—पत्र संलग्न न होने की दशा में ऐसे आवेदनों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवेदनों को प्रथम दृष्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेंसिंग प्राधिकारी को होगा। यदि किसी आवेदक के नाम अचत सम्पत्ति नहीं है तो वह अपने परिवार की सम्पत्ति को हैसियत प्रमाण—पत्र के रूप में लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम Morgaged कर हैसियत प्रमाण पत्र प्रापत कर सकते हैं। हैसियत प्रमाण—पत्र की राशि की कमी के एवज में उस राशि के बराबर राशि के बने बैंक ड्राफ्ट (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे जमा कराये जा सकेंगे। अनुज्ञापी का स्थाई रूप से उत्तराखण्ड का निवासी होना अनिवार्य है, अतः दुकान हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण—पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

7—देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणनाः—

निकासी हेतु वर्ष 2007—08 के लिये निर्धारित न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विपरीत देशी मदिरा की प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के आधार पर दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी। यदि सम्बन्धित दुकान पर बिक्री हेतु अधिक मदिरा सकी आवश्यकता हो तो लाईसेंस फीस की श्रेणी के अधिकतम् सीमा तक निर्धारित प्रति बल्क लीटर/प्रति बोतल न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के आधार पर मदिरा का उठान कर सकता है।

8— **देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दरः—**

(एक) विदेशी मदिरा संदेह उत्पाद शुल्क की दर रू0 56.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देशी मदिरा(36 वी0/वी0 तीव्रता) पर ड्यूटी रू0 75.00 रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

(दो) बियर पर अभिकर दर में वर्ष 2001—02 से कोई परिवर्तन/वृद्धि न होने के फलस्वरूप 5 प्रतिशत एल्कोहल तीब्रता की बियर पर 13 रू0 प्रति ब्लक

लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक तथा 8 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता तक की बियर पर 25 रू0 प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

9–विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणनाः–

विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं:–

1. रू0 25.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 60.00
2. रू0 25.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00
3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 75.00
4. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 85.00
5. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0100.00
6. रू0 150.01 से रू0 400.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 115.00
7. रू0 400.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 150.00

उपरोक्त के अतिरिक्त लेबिल रजिस्ट्रेशन फीस भी निर्धारित की जायेगी।

10–सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेस्मेंट फीस की दरः–

वर्ष 2007–08 के लिए एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए 5,000/– रू0 लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

(एक) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी:–

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) रू0 56.00 प्रति ए0एल0

(ब) रियायती रम (कोई परिवर्तन नही) रू0 45.00 प्रति ए0एल0

(स) बियर–एफ0एल0–9 के अन्तर्गत सिविल मार्केट (एफ0एल0–5) के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(दो) असेस्मेंट फी की दरें:–

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट)/रियायती रमः वर्ष 2006–07 की निर्धारित दरों पर।

(ब) बियर–कोई वृद्वि प्रस्तावित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2006–07 की भांति रहेगी।

11– मदिरा का विक्रय मूल्यः–

वित्तीय वर्ष 2006–07 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा का

अधिकतम् फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा। इस हेतु समस्त कार्यवाही शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा की जायेगी।

12–विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एल0–2) अनुज्ञापन :–

वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु एफ0एल0–2 अनुज्ञापन केवल विदेशी मदिरा के निर्माता (Manufacturers/Distilleries/ Breweries) को अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2007–08 में एफ0एल0–2 के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी।

वर्ष 2007–08 हेतु विभिन्न जनपदों के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस को उनकी विदेशी मदिरा की खपत के आधार पर शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा समय निर्धारित की जायेगी।

सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रदेश स्थित सहकारी क्षेत्र की आसवनियों के विदेशी मदिरा के इस श्रेणी के ब्राण्डस (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेशी के ब्राण्डस) की एक निश्चित प्रतिशत मात्रा में उठान को एफ0एल0–2 अनुज्ञापन से उठाया जाना फुटकर अनुज्ञापियों के लिए बाध्यकारी बनाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता विदेशी मदिरा के केवल अपनी आसवनी के विदेशी मदिरा के ब्राण्डस ही उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेंसों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। यदि कोई निर्माता किसी अन्य आसवनी/निर्माता के ब्राण्डस की बांटलिंग अपनी इकाई में करता है तो दूसरे विनिर्माता के इन ब्रान्डस को अपने बाण्ड से बेचने की अनुमति ऐसे बाण्ड धारक निर्माता को नहीं दी जायेगी। इसके लिये उत्पादकवार अलग से बाण्ड लाईसेंस लेना होगा। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेंस फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार स्लैबवार होगा।

13–गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों में देशी मदिरा की दुकानों का संचालनः–

गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2006–07 की भॉति केवल विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित की जायेगीं। दुकानों का स्थल निर्धारण सम्बधित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। गढ़वाल मण्डल के आंशिक मध्य निषेध क्षेत्र के जनपदों में बार/बियर बार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे (20 शैया) वाले होटल/रिसार्टस, जो मुख्य बियर यात्रा मार्ग से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित हों, को ही स्वीकृत किये जा सकेगें। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेगें।

14–जनपदों में दुकान का स्थान परिवर्तनः–

जिलाधिकारियों द्वारा दुकार रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णर्य लिये जा सकेंगें परन्तु दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व, दुकान की स्थिति यथा– स्कूल, धार्मिक स्थल, चिकित्सालय, मुख्य राष्ट्रीय/राज मार्ग, यात्रा मार्ग एवं मलिन बस्तियों के समीप न हों, एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। स्थान परिवर्तन की जाने वाली दुकान का राजस्व, जनपद की अन्य दुकानों के राजस्व के अतिरिक्त होगा। यदि कोई दुकान स्कूल, धार्मिक स्थल, चिकित्सालय, मुख्य राष्ट्रीय/राज मार्ग, यात्रा मार्ग एवं मलिन बस्तियों के समीप खोली जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित लाईसेंसिंग प्राधिकारी/जिलाधिकारी का होगा।

15– जनपदों में देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार उपरोक्त प्रस्तर 13 एवं 14 में उल्लिखित मानको के अनुरूप निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जनपद का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित रहेगा। यदि जनपद की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों तथा उपरोक्त प्रस्तर 13 एवं 14 में उल्लिखित मानकों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेंगें परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं हो सकेगा।

16–बार एवं क्लब बार लाईसेन्सः–

बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर डयटी की दर निम्नानुसार होंगीः–

1. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 75.00
2. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 85.00
3. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 100.00
4. रू0 150.01 से रू0 400.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 115.00
5. रू0 400.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 150.00

उक्त दरों से निम्न दरों की विदेशी मदिरा की बिकी बार एवं क्लब बारों में प्रतिबन्धित रहेगी।

होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार लाईसेन्स निर्गत किये जायेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन से समन्धित अन्य व्यवस्था एवं शर्तें वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

बड़े व्यवसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा जिनकी, आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

17–बियर बार लाईसेन्सः–

बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 की नीतियों/मानकों का अनुकरण किया जायेगा। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपयें (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हें रू0 20,000/– (बीस हजार रूपयें) प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगें एवं सीजनल बीयर बार हेतु लाईसेंस फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी अर्थात रू0 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र) होगी।

ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बियर बार लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो। गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमॉयू मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों के लिए बिक्री उपरोक्त सीमा से छूट शासन की पूर्वानुमति से गुणावगुण के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी।

18–आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापनाः–

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थ रखा जायेगीः–

(क) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) बाटलिंगग प्लान्ट लगाने के लिए पूर्व वर्ष की नीति के अनुरूप इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्यातिप्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

एफ0एल0–3 ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेंस फीस संदेय होगी। इन लाईसेंसों के अन्तर्गत भरी गयी विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर क्रमशः रू0 4.50/–, रू0 2.25/– एवं रू0 1.15/– बाटलिंग फीस देय होगी किन्तु यदि ऐसे लाईसेंस धारक अपने उत्पाद की बिक्री प्रदेश के बाहर निर्यात करते हैं तो ऐसी दशा में प्रदेश के बाहर निर्यात होने वाली विदेशी मदिरा पर बॉटलिंग फीस की दरें वही होंगी जो प्रदेश के अन्दर स्थापित

आसवनियों के लिए निर्धारित की गई हैं किन्तु निर्यात की दशा में सम्बन्धित विनिर्माणशाला को निर्यात फीस एवं अन्य ऐसे देय जो शासन समय–समय पर निर्धारित करेगा, अदा करने होंगे।

इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001–02 से वर्ष 2006–07 तक एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत बाटलिंग फीस की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अतः वर्ष 2007–08 के लिए एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत विदेशी मदिरा व बियर की बोतल भराई पर (बाटलिंग फी) की दरें निम्नवत् की जानी हैः–

कमांक	बोतल का प्रकार (भारत निर्मित मदिरा)	एफ0एल0–3 हेतु
(क)	1000 मिली लीटर बोतल	रू0 2.00 प्रति बोतल
(ख)	750 मिली लीटर बोतल	रू0 1.50 प्रति बोतल
(ग)	500 मिली लीटर बोतल	रू0 1.00 प्रति बोतल
(घ)	375 मिली लीटर अद्धा	रू0 0.75 प्रति बोतल
(च)	180 मिली लीटर पौवा	रू0 0.60 प्रति बोतल

बियर बोतल भराई हेतु बाटलिंग फी की दरें एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत निम्न प्रकार निर्धारित की जाति हैः–

कमांक	बोतल का प्रकार (बियर)	एफ0एल0–3 हेतु
(क)	650 मिली लीटर की बोतल पर	रू0 0.50 प्रति बोतल
(ख)	650 मिली लीटर या इससे कम धारिता की बोतल पर	रू0 0.30 प्रति बोतल

प्रदेश के बाहर निर्यात हेतु विदेशी मदिरा पैट (Polyethylene Tetra Phthalate) बोतलों मे भी भरी जा सकेगी परन्तु अनुज्ञापी को इस सम्बन्ध मं सक्षम संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों में भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

(ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा तथा वाईन किन धारिता की बोतलों में भरी जायेगी इसके निर्धारण हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत होंगे। इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट बियर की बिकी की अनुमति बारों/कैन्टीनों में भी दी जा सकेगी।

19–गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्टः–

उत्तराखण्ड के शीरा डेफिसिट राज्य होने के कारण गैसोहोल/इथेनाल प्लान्ट स्थापित करने हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

20–देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों (सी0एस0डी0 कैन्टीनां/अर्द्ध सैनिक बलों के कैन्टीनों को आपूतित बोतलों को सम्मिलित करते हुए) पर वर्तमान में होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था यथावत् रखी जायेगी। राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से फुटकर दुकानों से बेची जाने वाली बियर की बोतलों पर भी सुरक्षा होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु होलोग्राम के वर्तमान डिजाईन को बदल दिया जायेगा। भारत सरकार द्वारा लेबिल्स के लिए निर्धारित बार कोडिंग की व्यवस्था राज्य में भी यथाशीघ्र लागू की जायेगी।

21–देशी मदिरा की शत प्रतिशत भराई वर्ष 2005–06 के अनुरूप कांच की नई बोतलों में ही की जायेगी। पॉली पाउचों तथा पैट बोतलों में भरी देशी मदिरा की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

22–जनहित में देशी मदिरा की गुणवक्ता में सुधार हेतु भविष्य में देशी मदिरा का निर्माण ई0एन0ए0 से ही कराया जायेगा। जनपद में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से सी0एल0–2 अनुज्ञापन प्रत्येक जनपद में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेगें, जिसका अनुज्ञापन शुल्क शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा जनपद में देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर तीनों आसवनियों में कम से कम तीन बराबर भागों में विभाजित कर निर्धारित की जायेगी। यदि सी0एल0–2 अनुज्ञापी सरकारी गोदामो के परिसर से देशी मदिरा की थोक बिक्री करना चाहते हैं तो उसे सम्बन्धित परिसर का बाजार मूल्य पर किराया देना होगा। किराया का निर्धारण लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारी द्वारा निर्धाति किया जायेगा।

23–विदेशी मदिरा एवं बियर की पॉली पाउचों/प्लास्टिक की बोतलों में बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। यह प्रतिबन्ध उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सैन्य कैन्टीनों पर भी लागू रहेगा, परन्तु जिन प्रदेशों में पैट बोतलों में भरी विदेशी मदिरा की बिक्री अनुमन्य है उन प्रदेशों को निर्यात की जाने वाली विदेशी मदिरा पैट बोतलों में इस शर्त के साथ भरी जा सकेगी कि मदिरा निर्माता को सक्षम संस्थ का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों में भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए विदेशी मदिरा व बियर को देश के बाहर निर्यात हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा।

24–भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित नीति यथावत् रहेगी।

25–रेस्त्रांबार/होटल बार/क्लब बार की लाईसेंस फीस में कोई वृद्धि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं की जायेगी।

26–वित्तीय वर्ष 2007–08 में मदिरा की दुकानों प्रातः 11:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खोली जायेंगी।

27–फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में एडवान्स में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों में अनुज्ञापी की देयता के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

28–अनुज्ञापियों / बॉण्ड धारकों द्वारा अन्य प्रदेशों से लाई जा रही मदिरा / बियर तथा प्रदेश के अन्दर थोक आपूर्ति हेतु परिवहन की जा रही देशी / विदेशी मदिरा / बियर का परिवहन केवल निर्धारित मार्ग (Route) से ही अनुमन्य होगा तथा मार्ग पर पड़ने वाली आबकारी जॉच चौकियों पर प्रविष्टि कराना बाध्यकारी होगा। मार्ग का निर्धारण आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।

निर्धारित मार्ग के अतिरिक्त मदिरा का परिवहन होने पर उसे अवैध मानते हुए राज्य के पक्ष में जब्त किया जायेगा तथा तद्नुसार सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

29–अन्य शेष व्यवस्थाऐं वर्ष 2006–07 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

30–उपरोक्त नीति के कियान्वयन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के पूर्व अनुमादेन से संशोधित नियम उपबंधित किये जा सकेंगे।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र जोशी,

सचिव।

वर्ष 2007–08 की आबकारी नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित टैक्स स्ट्रैक्चर

विभिन्न मादक पदार्थो के विनिर्माणशालाओं तथा थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्ष 2007–08 की उत्तराखण्ड प्रदेश की लाईसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन शुल्क, उत्पाद शुल्क, निर्यात, आयात, एसेस्ड फीस आदि का संक्षिप्त विवरणः–

क्र0 सं0	मादक पदार्थ का नाम	लाईसेंस के प्रकार	लाईसेंस फीस की दर (वार्षिक या वर्ष के भाग के लिए)
1	2	3	4

	देशी मदिरा थोक बिक्री प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में निर्धारित एम0 जी0 क्यू0 के 1/3 भाग के बाराबर राज्य की तीनों आसवनियों के लिए सी0 एल0–2 अनुज्ञापन की व्यवस्था	1–थोक देशी मदिरा सप्लाई के सी0एल0–2 लाइसेंस।	
		विकल्प–1 (क)10 लाख ब0ली0 तक एम0जी0क्यू0वाले जनपद।	न्यूनतम रू0 1,00,000/–(एक लाख) या 0.40 पैसा प्रति बल्क लीटर की दर से जो भी अधिक हो।
		(ख)10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख ब0ली0 तक एम0जी0 क्यू0 वाले जनपद।	न्यूनतम रू0 3,00,000/–(दो लाख) या 0.40 पैसा प्रति बल्क लीटर की दर से जो भी अधिक हो।
		(ग) 20 लाख से अधिक किन्तु 40 लाख ब0ली0 तक एम0जी0 क्यू0 वाले जनपद।	न्यूनतम रू0 3,00,000/–(तीन लाख) या 0.40 पैसा प्रति बल्क लीटर की दर से जो भी अधिक हो।
		(घ) 40 लाख ब0ली0से अधिक एम0जी0क्यू0 वाले जनपद।	न्यूनतम रू0 5,00,000/– या 0.40 पैसा प्रति बल्क लीटर की दर से जो भी अधिक हो।
		विकल्प–2:–वर्ष 2006–07 के अनुमानित सी0एल0–1 अनुज्ञापनों की बिक्री के आधार पर अनुज्ञापन शुल्क का इन्सीडेंन्स प्रति बल्क लीटर 0.39 पैसा आता है। सी0एल0–2 अनुज्ञापन के लिए अनुज्ञापन शुल्क 0.45पैसे प्रति बल्क लीटर निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है। इससे अनुज्ञापन शुल्क के रूप में 82,80,000/– की धनराशि प्राप्त हो सकती है जो गत वर्ष की तुलना में रू0 10,44,000/– अधिक होगी या (0. 40 पैसे प्रति बल्क लीटर भी विचार करना चाहें।)	
2.	विदेशी मदिरा थोक बिक्री	2. (अ) बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (बाण्ड) (विदेशी मदिरा एवं बियर) प्रदेश के बाहर की आसवनियों के लिए बिक्री के स्लैबवार लाईसेंस फीस।	

	प्रणाली	1. 50,000 पेटियों तक 2. 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक 3. 1,00,000पेटियां से अधिक	रू0 3,50,000.00/- रू0 2,50,000.00/- रू0 3,00,000.00/-
		(ब) बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी 1. 50,000 पेटियों तक 2. 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक 3. 1,00,000से अधिक	रू0 1,80,000/- रू0 2,50,000/- रू0 3,00,000/-
		(स) बी0डब्लू0एफ0एल0-2 (एस) 1. 600 पेटी की बिक्री तक 2. 600 पेटी से अधिकतम 1200 पेटियां तक की बिक्री पर	रू0 50,000/- प्रत्येक 100पेटी पर रू0 10,000/-अतिरिक्त लाईसेन्स फीस देय होगी''
		(द) बी0डब्लू0एफ0एल0-2 (डब्लू)	रू0 1,75,000/-
		3- एफ0एल0-2:- थोक बिक्री लाईसेंस 1-एफ0एल0-2(विदेशी मदिरा की थोक बिक्री हेतु)	रू0 1,00,000/- या रू0 96.00 (छियानवे मात्र) प्रति पेटी की दर से दोनों में से जो भी अधिक हो,देय होगा।
		2- एफ0एल0-2बी (बियर की थोक बिक्री हेतु)	रू0 50,000/- या रू0 60.00 (साठ रूपये) प्रति पेटी की दर से दोनों में से जो भी अधिक हो,देय होगा।
		3. एफ0एल0-2ए (सैन्य इकाईयों को मदिरा एवं बियर की सप्लाई हेतु थोक बिक्री लाईसेंस	रू0 5,000/- (पांच हजार)प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए

6. पी0डी0-2 अनुज्ञापन (आसवनी में स्प्रिट के उत्पादन हेतु दिया जाने वाला रू0 25.0953 प्रति किलोलीटर

अनुज्ञापन)

7. एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाई को दिया जाने वाला अनुज्ञापन)

प्रतिवर्ष 15 लाख मानक बोतलों से कम भराई तक।	रू0 8,36,482/–वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
प्रति वर्ष 15 लाख से अधिक परन्तु 20 लाख से कम बोतलों की भराई हेतु ।	रू0 16,72,963/– वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक परन्तु 50 लाख तक बोतलों की भराई हेतु	रू0 25,09,444/– वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
1. पद्रह लाख मान्य क्वार्ट बोतल से कम भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये आठ लाख छत्तीस हजार चार सौ बयासी मात्र प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
2. पद्रह लाख से अधिक और पच्चीस लाख मान्य क्वार्ट बोतल से कम भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये सोलह लाख बहत्तर हजार नौ सौ तिरेसठ मात्र प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
3. पच्चीस लाख से अधिक और पचास लाख मान्य क्वार्ट बोतल से कम भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये पच्चीस लाख नौ हजार चार सौ चवालीस मात्र प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
4. पचास लाख से अधिक और पिचहत्तर लाख मान्य क्वार्ट बोतल से कम भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	अड़तीस लाख प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए।
5. पिचहत्तर लाख से अधिक और एक करोड़ मान्य क्वार्ट बोतल से कम भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये पचास लाख प्रति वर्ष या उसके भाग के लिये।

8. देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानेां के लाईसेंस फीस के स्लैब के निर्धारण (सी0एल0–5सी व एफ0एल0–5डी)

देशी मदिरा

क्रं0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	2006–07	2007–08(16% बढ़ोतरी के साथ पूर्णांक में (Rounded

			Figure)
1	0 से 12000तक	88,000	1,03,000
2	12001से 30000तक	1,75,000	2,03,000
3	30001से 60000तक	3,50,000	4,06,000
4	60001से 1,00,000तक	7,00,000	8,12,000
5	1,00,001 से 1,50,000तक	10,50,000	12,18,000
6	1,50,001 से 3,00,000तक	14,00,000	16,24,000
7	3,00,000 से अधिक	17,50,000	20,30,000

विदेशी मदिरा

क्र0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बोतल में	2006—07	2007—08(16% बढ़ोतरी के साथ पूर्णक में (Rounded Figure)
1	0 से 6000तक	88,000	1,03,000
2	6001से 12,000तक	1,75,000	2,03,000
3	12,001से 25,000तक	3,50,000	4,06,000
4	25,001से 50,000तक	7,00,000	8,12,000
5	50,001 से 75,000तक	10,50,000	12,18,000
6	75,001 से 1,00,000तक	14,00,000	16,24,000
7	1,00,000 से अधिक	17,50,000	20,30,000

9 (अ) होटल एंण्ड रेस्टोरेन्ट बार

(1) तीन सितारा होटलों तक ।	2,00,000/— रूपये प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए ।
(2) चार सितारा होटलों में स्थित बार ।	4,00,000/—रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
(3) पांच सितारा होटलों में स्थित बार ।	5,00,000/— रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(4)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये दिये जाने वाले बार लाइसेंस तीन सितारा होटलों तक के स्तर के लिए	1,00,000/— रू0 प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

(ब) बियर बार अनुज्ञापन

(1) बियर बार अनुज्ञापन	20,000 / –रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये जाने वाले बियर बार लाइसेंस	10,000 / –रू0प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

(स) क्लब बार परमिट

(1) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 100 तक हो	60,500 / – रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 101 से 500 तक हो	90,750 / – रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(3) ऐसे क्लब जहॉ सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो	1,21,000 / –रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए

10. बार व क्लब बार लाईसेंस के अन्तर्गत बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा पर ड्यूटी की दरः–

(अ) बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर निम्नानुसार होगीः–

1. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 75.00
2. रू0 55.01 से 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 85.00
3. रू0 75.01 से रू0 150.00 एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 100.00
4. रू0 150.01 से 400 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 115.00
5. रू0 400.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 150.00

मदिरा पर देय परमिट फीस

(ब) 20000 बोतल वार्षिक की सीमा से अधिक प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्धि पर बोतलों की बिक्री पर रू0 5 / – प्रति बोतल की बढ़ी दर से ।

11. विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दरें:–

1. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की अभिकर की दर।	56.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
2. बियर (5 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	13.00 रू0 प्रति बल्क लीटर।
3. बियर (5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	25.00 रू0 प्रति बल्क लीटर।
4.सैन्य कैन्टीन को दी जाने वाली रियायती रम	45.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
5. भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम–उत्तरांचल राज्य के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्ष दी जाने वाली कमशः 1,80,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम ।	शासकीय अधिसूचना संख्या 27/आब/2002/दिनांक 14.1.2002 के द्वारा इस सीमा तक रम अभिकर मुक्त कर दी गयी है।

12. विदेशी मदिरा निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणना:–

1	रू0 25.00प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 60.00
2	रू0 25.01 से रू0 35.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 65.00
3	रू0 35.01 से रू0 55.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 75.00
4	रू0 55.01 से रू0 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 85.00
5	रू0 75.01 से रू0 150.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 100.00
6	रू0 150.01 से रू0 400.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 115.00
7	रू0 400.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 150.00

13.एसेस्मेंट शुल्क की दरें

एफ0एल0–9/9ए:– निश्चित लाइसेंस फीस 92/–रू0 प्रति लाईसेंस वार्षिक देय होगी व विदेशी मदिरा, रियायती रम तथा बियर की बिकी पर निम्नानुसार एसेसमेंट फीस देय होगी।

1.	विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी एवं जिन)	32.00 रू0 प्रति बोतल।
2.	रियायती रम	20.00 रू0 प्रति बोतल।
3.	बियर (5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता तक)	2.00 रू0 प्रति बोतल।
4.	बियर (5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत तक एःल्कोहल तीव्रता वाली)	3.00 रू0 प्रति बोतल।

14.आयात की दरें:–

1.	विदेशी मदिरा (बोतलों में)	रू0 प्रति बोतल ।
	विदेशी मदिरा (ब0ली0 में)	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
	बियर	1.00 रू0 प्रति बोतल ।
	माल्ट स्प्रिट	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
	रेक्टिफाईड स्प्रिट	1.00रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
	विकृत सुरा/विशेष विकृत सुरा (अ)उत्तराचंल स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर । (Hospitals, Dispensaries and other charitable and educational institutional के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी।)	शून्य।
	(ब)थोक व फुटकर विक्रेताओं तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर।	रू0 1.10/— (रूपये एक एवं दस पैसे मात्र) प्रति ब0ली0

15. निर्यात फीस की दरें

1.	शोधित आसव (पेय मदिरा अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	1.00 रू0 प्रति बल्कलीटर । (दिनांक 31.03.2007 तक प्रभावी थी तथा आगामी वर्ष में संशोधन होने पर सूचित किया जायेगा।)
2.	ई0एन0ए0	1.00 रू0 प्रति बल्कलीटर । (दिनांक 31.03. 2007तक प्रभावी थी तथा आगामी वर्ष में संशोधन होने पर सूचित किया जायेगा।)
3	विकृत सुरा (औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	0.50 रू0 प्रति बल्कलीटर।
4.	देशी मदिरा	4.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0 ।
5.	विदेशी मदिरा (बोतलों में)	2.67 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
6.	विदेशी मदिरा (ब0ली0 में)	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
7.	बियर	0.50 रू0 प्रति बल्क लीटर ।
8.	माल्ट स्प्रिट	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
9.	भांग	3.00 रू0 प्रति किलोग्राम ।

16. (अ) विदेशी मदिरा के एक्स डिस्टिलरी मूल्य पर स्लैबवार देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी, द्वारा देय) जो दिनांक 1.6.2007 से प्रभावी होगी।

	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	न्यूनतम वार्षिक गारन्टीड राशि में से देय प्रति बोतल अभिकर
1	रू0 25.00प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 60.00
2	रू0 25.01 से रू0 35.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 65.00
3	रू0 35.01 से रू0 55.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 75.00
4	रू0 55.01 से रू0 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 85.00
5	रू0 75.01 से रू0 150.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 100.00
6	रू0 150.01 से रू0 400.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 115.00
7	रू0 400.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 150.00

एफ0एल0–2से बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की कोई राशि देय नहीं हेागी।

एफ0एल0–2 से बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की कोई राशि देय नहीं होगी ।

17. (अ) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को न्यूनतम 1,00,000/– रूपये प्रति वर्ष की दर से बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी :–

कमांक	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु
1.	1000मिलीलीटर बोतल	2.00 रू0 प्रति बोतल
2.	750मिलीलीटर बोतल	1.50 रू0 प्रति बोतल
3.	500मिलीलीटर बोतल	1.00 रू0 प्रति बोतल
4.	375 मिलीलीटर अद्धा	0.75 रू0 प्रति अदधा
5.	180मिलीलीटर पौव्वा	0.60 रू0 प्रति पौवा

17. (ब) एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्ष की दर से विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगी।

कमांक	बोतल का प्रकार	राज्य में बिक्री हेतु	निर्यात हेतु
1.	1000मिलीलीटर बोतल	—	रू0 2.00प्रति बोतल
2.	750मिलीलीटर बोतल	4.50 रू0 प्रति बोतल	रू0 1.50 प्रति बोतल
3.	500मिलीलीटर बोतल	—	रू0 1.00प्रति बोतल
4.	375 मिलीलीटर अद्धा	2.25 रू0 प्रति अद्धा	रू0 0.75 प्रति अद्धा
5.	180मिलीलीटर पौवा	1.15 रू0 प्रति पौव्वा	रू0 0.60 प्रति पौव्वा

18 (स) विदेशी मदिरा/बियर के लेबिलों का अनुमोदन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस

1. **विदेशी मदिरा**– विदेशी मदिरा के लेबिलों के अनुमोदन के पूर्व प्रति लेबिल फीस धारितावार प्रति वर्ष रू0 5000/–(पांच हजार) (बोतल/अद्धा/पौव्वा) रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

2. **बियर/वाईन आदि** – इसी प्रकार बियर के लेबुलों के अनुमोदन के लिए प्रति लेबिल फीस प्रति वर्ष रू0 2500/–(दो हजार पांच सौ मात्र) धारितावार अनुमोदन शुल्क लिया जायेगा।

18.(द) सी0एस0डी0आपूर्ति के लिए–

(1) **विदेशी मदिराः**– प्रति लेबिल फीस प्रति वर्ष रू0 2000/–(दो हजार मात्र)शुल्क देय होगा।

(2) **बियर/वाईन** :– प्रति लेबिल फीस प्रति वर्ष रू0 1000/–(एक हजार मात्र) शुल्क लिया जायेगा।

19 (द) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रिवरी(यवासवनी) के अन्तर्गत न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्ष की दर से बियर बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगी।

(1) 650एम0एल0की बोतल पर	रू0 0.50 प्रति बोतल
(2) 350एम0एल0या इससे कम धारिता की बोतल पर	रू0 0.30 प्रति बोतल

20. देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (सी0एल0–5सी अनुज्ञापी द्वारा देय)

देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क 75/– रूपये प्रति ब0ली0 (36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता) की दर से देय होगा।

21. आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के भाग–2 के चैप्टर–VIII के सेक्शन–XXV के नियम–12 के अन्तर्गत आसवनी/विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई नियमावली, 1969 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत तथा आसवनी में किसी सेक्शन में ओवर टाईम फीस का निर्धारण निम्नवत है:–

आबकारी निरीक्षक के लिए	रू0 60.00 प्रति घण्टा ।
आबकारी लिपिक/उप आबकारी निरीक्षक	रू0 36.00 प्रति घण्टा ।
आबकारी सिपाही	रू0 32.00 प्रति घण्टा।

22.शीरा पर प्रशासनिक शुल्क

1.	राज्य की इकाईयों हेतु शीरा की बिक्री पर प्रशासनिक शुल्क	रू011/– प्रति कुंटल
2.	उत्तर प्रदेश की अल्कोहल/शीरा पर आधारित रासायनिक उद्योगों हेतु की गयी शीरा की बिक्री पर	रू0 11/– प्रति कुंटल
3.	उपरोक्त (2) के अतिरिक्त शीरा के निर्यात पर	रू0 15/– प्रति कुंटल

(हरिश्चन्द्र जोशी)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या /सात–लाईसेंस(30)टैक्स स्ट्रैक्चर/2007–08
दिनांकःयथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी,बंधित गोदाम/आसवनियॉ,उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी,चीनी मिलें,उत्तराखण्ड।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी,मुख्यालय।
6. गार्ड फाईल।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

उत्तरांचल शासन

आबकारी अनुभाग

संख्या:728/XXIII/2006/115/2003–TC

देहरादूनः दिनांकः 10, मई, 2006

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904) (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (दसवाँ संशोधन) नियमावली, 2006

1.संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (दसवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 है।

(2) यह 01 अप्रैल 2006 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम 6,8,15 एवं 17 में संशोधनः– उत्तरांचल आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 समय–समय पर यथा संशोधित, के नीचे स्तम्भ–1 में अंकित नियम 6,5,8, व 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में अंकित नियम रखे जायेंगे:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
6– **लाईसेंस फीस और गारन्टीड राशि का भुगतान–** प्रपत्र दे0म0–5ग में लाईसेंस एक आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिये निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त् स्वीकृत किये जायेंगे:–	6– **लाईसेंस फीस और गारन्टीड राशि का भुगतान–** प्रपत्र दे0म0–5ग में लाईसेंस एक आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिये निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त् स्वीकृत किये जायेंगे:–
(क) दुकान के व्यवस्थापन के समय आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर प्राप्त शासन की स्वीकृति के आधार पर लाईसेंस फीस के अग्रिम भुगतान करने पर पूर वर्ष या वर्ष के भाग के लिये।	(क) दुकान के व्यवस्थापन के समय आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर प्राप्त शासन की स्वीकृति के आधार पर लाईसेंस फीस के अग्रिम भुगतान करने पर पूर वर्ष या वर्ष के भाग के लिये।
नोट:– 36 प्रतिशत वी/वी की देशी	नोट:– 36 प्रतिशत वी/वी की देशी

मसालेदार मदिरा का एक बल्क लीटर 25/36 बल्क लीटर 25 प्रतिशत वी/वी सादा देशी शराब के बराबर होगा।	मसालेदार मदिरा का एक बल्क लीटर 25/36 बल्क लीटर 25 प्रतिशत वी/वी सादा देशी शराब के बराबर होगा।
(ख) एक माह के न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के बराबर की राशि राजकोष में ब्याज रहित गारन्टी के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से 07 दिन के भीतर संदाय की जायेगी और एक माह के बराबर की राशि या अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सभी दावे और अवशेष अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ में व्यवसीिपित दुकान की गारन्टी के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर गारन्टी के रूप में संदाय की जायेगी।	(ख) एक माह के न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के बराबर की राशि राजकोष में ब्याज रहित गारन्टी के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से 07 दिन के भीतर संदाय की जायेगी और एक माह के बराबर की राशि या अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सभी दावे और अवशेष अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ में व्यवसीिपित दुकान की गारन्टी के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर गारन्टी के रूप में संदाय की जायेगी।
	अनुज्ञापी द्वारा जमा की गयी गारन्टी की राशि को आबकारी वर्ष के अन्तिम माहों में उसकी देयता के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
8 (ग) लाईसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेगा जिसे, समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तय किये गये आवेदन फीस/प्रोसेसिंग फीस को कैश अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 2005–06 हेतु यह फीस 200/– रू0 निर्धारित की गयी है।	8 (ग) लाईसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेगा **जिसे, सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा एवं जिसे जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकेगा।** आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग फीस, जिसे समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तय किया जायेगा, को कैश अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में , जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। वर्ष 2006–07 हेतु यह फीस 200/– रू0 निर्धारित की गयी है।
15. मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का	15. मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का

उठानः—

अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है। परनतु यदि अनुज्ञापी ने मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की समस्त राशि जमा कर दी हो, तो जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी की लिखित प्रार्थना पर कारण अभिलिखित करते हुए उसे मदिरा के उठान हेतु अगले माह की 07 तारीख तक का समय दे सकते है।

अगर अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम गारन्टीड डयूटी के विपरीत देशी मदिरा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवश्यकता हो तो, अनुज्ञापी को अतिरिक्त मात्रा में देशी मदिरा के उठान की अनुमति, अतिरिक्त एक्साईज डयूटी से पांच रूपये प्रति बोतल अधिक होगी का भुगतान करने पर अतिरिक्त उठान की अनुमति दे दी जायेगी। मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की प्रत्येक 10 प्रतिशत राशि के बराबरी अतिरिक्त उठान पर डयूटी की दर पांच रूपये बढ़ती जायेगी। अनुज्ञापी को मार्च माह हेतु निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के विपरीत मदिरा का उठान 26 मार्च तक करना अनिवार्य होगा।

उठानः—

अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है। परनतु यदि अनुज्ञापी ने मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की समस्त राशि जमा कर दी हो, तो जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी की लिखित प्रार्थना पर कारण अभिलिखित करते हुए उसे मदिरा के उठान हेतु अगले माह की 07 तारीख तक का समय दे सकते है।

अगर अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम गारन्टीड डयूटी के विपरीत देशी मदिरा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवश्यकता हो तो, अनुज्ञापी को अतिरिक्त मात्रा में देशी मदिरा के उठान की अनुमति, अतिरिक्त एक्साईज डयूटी से पांच रूपये प्रति बोतल अधिक होगी का भुगतान करने पर अतिरिक्त उठान की अनुमति दे दी जायेगी। मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की प्रत्येक 10 प्रतिशत राशि के बराबरी अतिरिक्त उठान पर डयूटी की दर पांच रूपये बढ़ती जायेगी। अनुज्ञापी को मार्च माह हेतु निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के विपरीत मदिरा का उठान 26 मार्च तक करना अनिवार्य होगा।

किसी दुकान के लिये निर्धारित वार्षिक न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त उठान पर कोई लाईसेंस फीस देय नहीं होगी परन्तु यदि वार्षिक न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के 10 प्रतिशत से अधिक उठान पर यदि दुकान लाईसेंस फीस के ऊपरी स्लैब की लाईसेंस फीस जमा करनी होगी।

17. बिक्री की अवधी और दुकानों की बन्दीः—

अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर

17. बिक्री की अवधी और दुकानों की बन्दीः—

अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर

जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर, 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि में प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक तथा 01 अक्टूबर से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि में प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित गतिविधियों के लिए सुसंगत विधि के उपबन्धों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।	जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, दिसम्बर तथा जनवरी माहों में, प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 तक तथा आबकारी वर्ष की शेष अवधि में प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित गतिविधियों के लिए सुसंगत विधि के उपबन्धों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव।

संख्याः 728 /XXIII/2006/115/2005–TC तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
10. निजी सचिव मा0 आबकारी मंत्रीजी को मा0 मत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
13. आबकारी आयुक्त उत्तरांचल शासन देहरादून।
14. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
15. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।

16. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को अधिसूचना के प्रति इस आशय से कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन उत्तरांचल शासन के असाधारण गजट के दिनांक 10 मई, 2006 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No 728 Dated 10.05.06 for general information.

Government of Uttaranchal

Department of Excise

No.: 728/XXIII/2006/115/2005-TC

Dehradun:Dated: 10, May, 2006

Notification

In exercise of the powers conferred by section 40 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), (As amended from time to time and as applicable to the State of Uttaranchal), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (As Amended from time to time and as applicable in the State of Uttaranchal), the Governer is pleased to make the following rules further to amend in the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Country Liquor) Rules] 2001.

The Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Country Liquor) (Tenth Amendment) Rules, 2006.

1. Short Title and Commencement

(i) These Rules may be called the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Country Liquor) (Tenth Amendment) Rules, 2006.

(ii) It shall be deemed to have come into force on the first day of April 2006.

2. Amendment of Rule 6,8,15 and 17

In the Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2001 as amended from time to time hereinafter referred to as the said Rules, for rules 6,8,15 and 17 set out in column No.I below, the rules set out in column No. II shall be substituted:-

Column I	Column II
6. Licence fee and security deposit:	**6. Licence fee and security deposit:**
The Licence in form C.L.-5C shall be granted for the period of an Excise Year or part thereof on payment of:	The Licence in form C.L.-5C shall be granted for the period of an Excise Year or part thereof on payment of:
(a) At the time of settlement of shop licence fee in advance on the rates fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State	(b) At the time of settlement of shop licence fee in advance on the rates fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State

Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof.

Note:- One bulk liter of Spiced Country Liquor of 36% v/v will be equivalent ot 36/25 bulk liter of Plain Country Liquor of 25% v/v.

(b)A sum equal to ine month's Monthly Minimum Guaranteed Duty in cash to be deposited in govt. treasury as interest free security deposit shall be payable within seven days from the date of settlement of the shop and a cash or bank guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a scheduled bank or Uttranchal State Cooperative Banks in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid tilll the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable as security deposit within one month from the date of settlement of shop.

8. Application for grant of licence:

(c) Application for grant of licence shall be made on prescribed form, which can be obtained from the District Excise officer on payment of the application fee/processing fee, as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time, in cash or Bank Draft payable to the District Excise Officer. This fee has been fixed as Rs 200/- for the year 2005-06

15. Lifting of Monthly Minimum Guaranteed Quantity:

The Licensee can lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for a month till the last working day of that month. However if the licensee has deposited all Monthly Minimum Guaranteed Duty the District Excise Officer may permit lifting of liquor till the 7th day of the next month, recording reasons in writing on the application of the licensee. In case the licensee has lifted Country Liquor against the entire amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty fixed for a month and there is scope for further sale in his shop, he will be

Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof.

Note:- One bulk liter of Spiced Country Liquor of 36% v/v will be equivalent ot 36/25 bulk liter of Plain Country Liquor of 25% v/v.

(b)A sum equal to ine month's Monthly Minimum Guaranteed Duty in cash to be deposited in govt. treasury as interest free security deposit shall be payable within seven days from the date of settlement of the shop and a cash or bank guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a scheduled bank or Uttranchal State Cooperative Banks in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid tilll the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable as security deposit within one month from the date of settlement of shop.

The security deposits made by the licensee shall be adjusted against his dues during the last months of the Excise year.

8. Application for grant of licence:

(c) Application for grant of licence shall be made on prescribed form, **which shall be published in atleast two prestigious newspapers of the area and which could also be obtained from the office of the District Excise officer. A processing fee, as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time, shall be deposited with the application form in cash or Bank Draft (payable to the District Excise Officer) in the office of District Excise Officer. This fee has been fixed as Rs 200/- for the year 2006-07**

15. Lifting of Monthly Minimum Guaranteed Quantity:

The Licensee can lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for a month till the last working day of that month. However if the licensee has deposited all Monthly Minimum Guaranteed Duty the District Excise Officer may permit lifting of liquor till the 7th day of the next month, recording reasons in writing on the application of the licensee. In case the licensee has lifted Country Liquor against the entire amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty fixed for a month and there is scope for further sale in his shop, he will be

allowed to lift an additional quantity of Country Liquor, on payment of **additional Excise Duty** at a higher rate of Rs. 5/- per bulk liter more than the original per bulk liter rate of duty prescribed for that shop, for issues of Country Liquor against every additional 10% amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty. Licensee shall have to lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for the month of March by 26th March Positively.

allowed to lift an additional quantity of Country Liquor, on payment of **additional Excise Duty** at a higher rate of Rs. 5/- per bulk liter more than the original per bulk liter rate of duty prescribed for that shop, for issues of Country Liquor against every additional 10% amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty. Licensee shall haveto lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for the month of March by 26th March Positively.

No amount of licensee fee shall be charged on extra issues made against upto 10% amount of the Annual Minimum Guaranteed Duty fixed for a shop, but in case of issues above 10% of the Annual Minimum Guaranteed Duty, if a shop comes in the next upper slab of the licence fee, the licensee shall have to pay the licence fee fixed for that upper slab, for his shop.

17. Hours of sale and closuer of the shop:

The licenced premises shall remain open for sale from 10: AM to 11: PM during period 1 october to 31 March of the coming year, except on April 14 (Ambedkar Jayanti), January 26 (Republic Day) and upto three more days as notified for closure by the licensing authority. Licensing authority may also order for closure of shop on account of law and order or general election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

17. Hours of sale and closuer of the shop:

The licenced premises shall remain open for sale from 10: AM to 10: PM during December and January and from 10: AM to 11: PM during the rest period of the Excise year, except on April 14 (Ambedkar Jayanti), January 26 (Republic Day) and upto three more days as notified for closure by the licensing authority. Licensing authority may also order for closure of shop on account of law and order or general election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

(Navin Chandra Sharma)
Secretary.

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या 729 / XXIII/2006/115/2005-T.C
देहरादून, 10 मई, 2006
<u>अधिसूचना</u>

सा0 प0 नि0–09

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल आबकारी (विदेशी एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन संशोधन) नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (ग्यारहवां संशोधन नियमावली, 2006) है।

(2) यह 1 अप्रैल 2006 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम 6, 7, 13, 14 एंव 16 में संशोधनः–

उत्तरांचल आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) के नीचे स्तम्भ–1 में अंकित नियम 6,7,13,14 एंव 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में अंमित नियम रखे जायेंगेः–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
6. लाईसेंस फीस और गारन्टीड राशि का भुगतान–प्रपत्र वि0म0–5ग में लाईसेंस एक आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त स्वीकृत किये जोयेंगेः– (क) दुकान के व्यवस्थापन के समय आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर प्राप्त शासन की स्वीकृति के आधार पर	**6. लाईसेंस फीस और गारन्टीड राशि का भुगतान**–प्रपत्र वि0म0–5ग में लाईसेंस एक आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त स्वीकृत किये जोयेंगेः– (क) दुकान के व्यवस्थापन के समय आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर प्राप्त शासन की स्वीकृति के आधार पर

लाईसेंस फीस के अग्रिम भुगतान करने पर पूरे वर्ष या वर्ष के भाग के लिये। (ख) एक माह के न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के बराबर की राशि राजकोष में ब्याज रहित प्रतिभूत के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से 07 दिन के भीतर संदाय की जायेगी और एक माह के बराबर की राशि या अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सभी दावे और अवशेष अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ में व्यवस्थापित दुकान की गारन्टी के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर गारन्टी के रूप में संदाय की जायेगी।	लाईसेंस फीस के अग्रिम भुगतान करने पर पूरे वर्ष या वर्ष के भाग के लिये। (ख) एक माह के न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के बराबर की राशि राजकोष में ब्याज रहित प्रतिभूत के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से 07 दिन के भीतर संदाय की की जायेगी और एक माह के बराबर की राशि या अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सभी दावे और अवशेष अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ में व्यवस्थापित दुकान की गारन्टी के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर गारन्टी के रूप में संदाय की जायेगी। **अनुज्ञापी द्वारा जमा की गयी गारन्टी की राशि को आबकारी वर्ष के अन्तिम माहों में उसकी देयता के विरूद्ध समायेजित किया जायेगा।**
7 (ग) लाईसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेगा जिसे, समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तय किये गये आवेदन फीस/प्रोसेसिंग फीस को कैश अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 2005–06 हेतु यह फीस 200/– रू0 निर्धारित की गयी है।	7 (ग) लाईसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेगा **जिसे, सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा एवं जिसे जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकेगा।** आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग फीस जिसे समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तय किया जायेगा, को कैश अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। वर्ष 2006–07 हेतु यह फीस 200/– रू0 निर्धारित की गयी है।
13– इस नियमावली के अधीन अनुज्ञापी विदेशी शराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, शुल्क	13– इस नियमावली के अधीन अनुज्ञापी विदेशी शराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, शुल्क

और उपकर, जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किये जायें, जमा करने के पश्चात् जिले के किसी थोक अनुज्ञापी (एफ0एल0–2) से विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि किसी विशिष्ट ब्राण्ड की विदेशी मदिरा उसके जिला के थोक अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों के पास उपलब्ध नहीं है तो उत्तरांचल के मुख्यालय के उप आबकारी आयुक्त (लाईसेंसिग) की पूर्व अनुमति से प्रदेश के किसी थोक अनुज्ञापी से विदेशी मदिरा प्राप्त कर सकेगा।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से निकासी पर प्रति बोतल (केवल स्प्रिट्स) पर मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की राशि का निम्नानुसार समायोजन किया जायेगा।

प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	**मासिक न्यून्तम गारन्टीड ड्यूटी की राशि।**
20/– रू0 तक	55/– रू0 प्रति बोतल
20.01 से 35/– रू0 तक	65/– रू0 प्रति बोतल
35.01 से 75/– रू0 तक	80/– रू0 प्रति बोतल
75.01 से 150/– रू0 तक	100/– रू0 प्रति बोतल
150/– रू0 से ऊपर	110/– रू0 प्रति बोतल

एफ0एल0–2 व एफ0एल0–2बी से वि0म0–5 डी अनुज्ञापियों को दी गई बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि का कोइ समायेजन नहीं किया जायेगा।

और उपकर, जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किये जायें, जमा करने के पश्चात् जिले के किसी थोक अनुज्ञापी (एफ0एल0–2) से विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि किसी विशिष्ट ब्राण्ड की विदेशी मदिरा उसके जिला के थोक अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों के पास उपलब्ध नहीं है तो उत्तरांचल के मुख्यालय के उप आबकारी आयुक्त (लाईसेंसिग) की पूर्व अनुमति से प्रदेश के किसी थोक अनुज्ञापी से विदेशी मदिरा प्राप्त कर सकेगा।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से निकासी पर प्रति बोतल (केवल स्प्रिट्स) पर मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की राशि का निम्नानुसार समायोजन किया जायेगा।

प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	**मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि।**
20/– रू0 तक	55/– रू0 प्रति बोतल
20.01 से 35/– रू0 तक	65/– रू0 प्रति बोतल
35.01 से 75/– रू0 तक	80/– रू0 प्रति बोतल
75.01 से 150/– रू0 तक	100/– रू0 प्रति बोतल
150/– रू0 से ऊपर	110/– रू0 प्रति बोतल

एफ0एल0–2 व एफ0एल0–2बी से वि0म0–5 डी अनुज्ञापियों को दी गई बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि का कोइ समायेजन नहीं किया जायेगा।

बार अनुज्ञापियों को दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की दर

निम्नानुसार होगीः–
1.रू0 22.00 प्रति बोतल तक
एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.
00
2.रू0 22.01 या उससे अधिक
रू0 35.00 तक प्रति बोतल एक्स
आसवनी मूल्य पर
रू0 65.00
3. रू0 35.01 या उससे अधिक
प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 80.
00

14. मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठानः– अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है। परन्तु यदि अनुज्ञापी ने मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की समस्त राशि जमा कर दी हो, तो जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी की लिखित प्रार्थना पर कारण अभिलिखित करते हुए उसे मदिरा के उठान हेतु अगले माह की 07 तारीख तक का समय दे सकते हैं।

अगर अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी के विपरीत विदेशी मदिरा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवश्यकता हो तो, अनुज्ञापी को अतिरिक्त मात्रा में विदेशी मदिरा के उठान की अनुमति, अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी जो मूल ड्यूटी से पांच बोतल अधिक होगी का भुगतान करने पर अतिरिक्त उठान की अनुमति दे दी जायेगी। मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की प्रत्येक 10 प्रतिशत राशि के बराबर अतिरिक्त उठान पर ड्यूटी की दर पांच रूपये बढ़ती जायेगी। अनुज्ञापी को मार्च माह हेतु निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के विपरीत मदिरा का उठान 26 मार्च तक करना अनिवार्य होगा।

14. मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठानः– अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है। परन्तु यदि अनुज्ञापी ने मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की समस्त राशि जमा कर दी हो, तो जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी की लिखित प्रार्थना पर कारण अभिलिखित करते हुए उसे मदिरा के उठान हेतु अगले माह की 07 तारीख तक का समय दे सकते हैं।

अगर अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी के विपरीत विदेशी मदिरा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवश्यकता हो तो, अनुज्ञापी को अतिरिक्त मात्रा में विदेशी मदिरा के उठान की अनुमति, अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी जो मूल ड्यूटी से पांच बोतल अधिक होगी का भुगतान करने पर अतिरिक्त उठान की अनुमति दे दी जायेगी। मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की प्रत्येक 10 प्रतिशत राशि के बराबर अतिरिक्त उठान पर ड्यूटी की दर पांच रूपये बढ़ती जायेगी। अनुज्ञापी को मार्च माह हेतु निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के विपरीत मदिरा का उठान 26 मार्च तक करना अनिवार्य होगा।

किसी दुकान के लिये निर्धारित

	वार्षिक न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त उठान पर कोई लाईसेंस फीस देय नहीं होगी परन्तु यदि वार्षिक न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के 10 प्रतिशत से अधिक उठान पर यदि दुकान लाईसेंस फीस के ऊपरी स्लैब में आ जाती है तो लाईसेंसी को ऊपरी स्लैब की लाईसेंस फीस जमा करने होगी।
16. बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दीः–	**16. बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दीः–**
अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर , 01 अप्रैल से 30 दिसम्बर तक की अवधी में प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक तथा 01 अक्टूबर से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि में प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10. 00 तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के ऍ सुसंगत विधि के उपबन्धें के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।	अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, दिसम्बर तथा जनवरी माहों में, प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तथा आबकारी वर्ष की शेष अवधी में प्रात5 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के ऍ सुसंगत विधि के उपबन्धें के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

नवीन चन्द्र शर्मा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Artical 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English transalation of notification no. 729/XXIII/2006/115/2005—T.C., dated May 10, 2006 for general information:

No. 729/XXIII/2006/115/2005—T.C

Dated Dehradun, May 10, 2006

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 40 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), (As amended from time to time and as applicable to the State of Uttaranchal), the Governer is pleased to make the following rules further to amend in the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules] 2001.

The Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Eleventh Amendment) Rules, 2006.

1. Short Title and Commencement

(i) These Rules may be called the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Eleventh Amendment) Rules, 2006.

(ii) It shall be deemed to have come into force on the first day of April 2006.

2. Amendment of Rule 6,7,13,14 and 16

In the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules, 2001 (as amended from time to time) for rules 6,7,13,14 and 16 set out in coloumn No. 1 below, the rules set out in column No.II shall be substituted:-

COLUMN-I	COLUMN-II
6. Licnce fee and security deposit:	**6. Licnce fee and security deposit:**
The licence in form F.L.-5D shall be granted for the period of an Excise Year or part thereof on payment of:	The licence in form F.L.-5D shall be granted for the period of an Excise Year or part thereof on payment of:
(a) At the time of settlement of shop, licence fee in advance on the rates, fixed by the Excise Commissioner in the consultation with the State Government, from time to time, for the whole of the Excise Year or part thereof.	(c) At the time of settlement of shop, licence fee in advance on the rates, fixed by the Excise Commissioner in the consultation with the State Government, from time to time, for the whole of the Excise Year or part thereof.
(b) A sum equal to one Month's Monthly Minimum Guranteed Duty in cash to be deposited in Government Treasury as interest free security deposit shall be payable within seven days from the date of settlement of the shop and a cash or Bank Guarantee of amount equal to one Month's Minimum Guaranteed Duty from a scheduled bank or Uttranchal State Co-operative Banks and District Co-Operative Banks in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims	(d) A sum equal to one Month's Monthly Minimum Guranteed Duty in cash to be deposited in Government Treasury as interest free security deposit shall be payable within seven days from the date of settlement of the shop and a cash or Bank Guarantee of amount equal to one Month's Minimum Guaranteed Duty from a scheduled bank or Uttranchal State Co-operative Banks and District Co-Operative Banks in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims

and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable as security deposit within one month from the date of settlement of shop.

7. Application for grant of licnce:

(c) Application for grant of licence shall be made on prescribed form, which can be obtained from the District Excise Officer on payment of the application fee/processing fee, as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time, in cash or Bank Draft payable to the District Excise Officer. This fee has been fixed as Rs 200/- for the year 2005-06

and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable as security deposit within one month from the date of settlement of shop.

The security deposits made by the licensee shall be adjusted against his dues during the last months of the Excise year.

7. Application for grant of licnce:

(c) Application for grant of licence shall be made on prescribed form, **which can be published in atleast two prestigious newspapers of the area and which could also be obtained from the office if the District Excise Officer. A Processing fee, as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time, in cash or Bank Draft (payable to the District Excise Officer) in the office of District Excise Officer. This fee has been fixed as Rs 200/- for the year 2006-07**

COLUMN-I

13. Lifting of Liquor:

The Licensee under these rules shall obtain supplies of foreign liquor/Beer from any wholesale licence (FL-2/FL-2B) of the disctict after making full payment of cost price of foreign liquor including all taxes, duties and cess as leavied fromo time to time. If any specific/particular brand of foreign liquor is not available in wholesale licence or licences of his district the same may be procured from any other wolesale licence of the State with prior permission of the Deputy Excise Commissioner (licencing) Head Quarter, Uttranchal at Dehradun. The amount of Monthly Guaranteed Duty shall be adjusted against per bottle issue of Indian Made Foreign Liquor (Sprits only) from FL-2 in the following manner:-

Per Bottle Ex-Distillery Price	Amt of minimum Guaranteed Duty
Upto Rs. 20/- per bottle	55/-
From Rs. Rs 20.01 to Rs 35.00	65/-
From Rs. Rs 35.01 to Rs 75.00	80/-
From Rs. Rs 75.01 to Rs 150.00	100/-
Above Rs 150.00 per bollte	110/-

No amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty Shall be adjusted against issues of beer from F.L.-2/2B to F.L.-5D licensees.

COLUMN-II

13. Lifting of Liquor:

The Licensee under these rules shall obtain supplies of foreign liquor/Beer from any wholesale licence (FL-2/FL-2B) of the disctict after making full payment of cost price of foreign liquor including all taxes, duties and cess as leavied fromo time to time. If any specific/particular brand of foreign liquor is not available in wholesale licence or licences of his district the same may be procured from any other wolesale licence of the State with prior permission of the Deputy Excise Commissioner (licencing) Head Quarter, Uttranchal at Dehradun. The amount of Monthly Guaranteed Duty shall be adjusted against per bottle issue of Indian Made Foreign Liquor (Sprits only) from FL-2 in the following manner:-

Per Bottle Ex-Distillery Price	Amt of minimum Guaranteed Duty
Upto Rs. 22/- per bottle	**55/-**
From Rs. Rs 20.01 to Rs 35.00	**65/-**
From Rs. Rs 35.01 to Rs 55.00	**75/-**
From Rs. Rs 55.01 to Rs 75.00	**85/-**
From Rs. Rs 75.01 to Rs 150.00 per bottle	**100/-**
Above Rs 150.00 per bollte	**110/-**

No amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty Shall be adjusted against issues of beer from F.L.-2/2B to F.L.-5D licensees.

In case of issues to bar licensee the amount of Minimum Guaranteed Duty shall be adjusted againist per bottle issue of Indian Made Foreign Liquor (Spirits only) from FL-2 in the following manner:-

Per Bottle Ex-Distillery Price	Amt of minimum Guaranteed Duty
Upto Rs. 22/- per bottle	**55/-**

From Rs. Rs 20.01 to Rs 35.00	**65/-**
From Rs. Rs 35.01 or above Bottle	**80/-**

COLUMN-I

14. Lifting Monthly Minimum Guaranteed Quantity

The Licensee can lift the Monthly Minimm Guaranteed Quantity for a month till the last working day of that month. However if the licensee has deposited all Moonthly Minimum Guaranteed Duty the District Excies Officer may permit lifting of liquor till the 7th day of the next monoth, recording reasons in writing on the application of the licensee. In case the licensee has lifted Foreign Liquor against the entire amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty fixed for a month and there is scope for further sale in his shop, he will be allowed to lift an additional quantity of foreign liquor, on payment of **additional Excise Duty** at a higher rate of Rs 5/- per bottle (750 ml) more than the original per bollte rate of duty prescribed for that shop, for issues of Forieng Liquor against every additional 10% amount of Montly Minimum Guaranteed Duty. Licensee shall have to lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for month of March by 26th March Positively.

16. Hours of sale and closure of the shop:

The licenced premises shall remain open for sale from 10:AM to 11: PM during period 1st April to 30th September and from 10: AM to 10:PM during period 01st October to 31st March of the comming year, except on April 14th (Ambedkar Jayanti), August 15th (Independence Day), October 2nd (Gandhi Jayanti), January 26th (Republic Day) and upto three more days as notified for closure by the licensing authority. Licensing authority may also order for clouser of shop on account of law and order or general election related activity under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds

COLUMN-II

14. Lifting Monthly Minimum Guaranteed Quantity

The Licensee can lift the Monthly Minimm Guaranteed Quantity for a month till the last working day of that month. However if the licensee has deposited all Moonthly Minimum Guaranteed Duty the District Excies Officer may permit lifting of liquor till the 7th day of the next monoth, recording reasons in writing on the application of the licensee. In case the licensee has lifted Foreign Liquor against the entire amount of Monthly Minimum Guaranteed Duty fixed for a month and there is scope for further sale in his shop, he will be allowed to lift an additional quantity of foreign liquor, on payment of **additional Excise Duty** at a higher rate of Rs 5/- per bottle (750 ml) more than the original per bollte rate of duty prescribed for that shop, for issues of Forieng Liquor against every additional 10% amount of Montly Minimum Guaranteed Duty. Licensee shall have to lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for month of March by 26th March Positively.

No amount of Licence fee shall be charged on extra issues made against upto 10% amount of the Annual Minimum Guaranteed Duty fixed for a shop, but in case of issues above 10% of the Annual Minimm Guaranteed Duty, if a shop comes in the next upper slab of the licence fee, the licensee shall have to pay the licence fee fixed for that upper slab, for his shop.

16. Hours of sale and closure of the shop:

The licenced premises shall remain open for sale from 10:AM to 10: PM during December and January and from 10: AM to 11:PM during the rest period of Excise year, except on April 14th (Ambedkar Jayanti), August 15th (Independence Day), October 2nd (Gandhi Jayanti), January 26th (Republic Day) and upto three more days as notified for closure by the licensing authority. Licensing authority may also order for clouser of shop on account of law and order or general election related activity under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds

By Order,

NAVIN CHANDRA SHARMA,

Secretary.

संख्या 267/XXIII/08/77/2007
देहरादून, 27 मई, 2008
अधिसूचना
आबकारी नीति 2008–09

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन! 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी, अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति घोषित करते हैं:–

यह नियम दिनांक 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी रहेगें।

1– लाईसेंस फीस का निर्धारण:–

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मदिरा की फुटकर दुकानों की नई स्लैव दरें निम्नवत् है:–

देशी मदिरा:–

क0सं0	न्यूनतम् गारन्टीड मात्रा ब0ली0 में	वर्ष 2008–09 हेतु लाईसेंस फीस रू0 में
1.	0 से 12000 तक	1,16,000/–
2.	12001 से 30000 तक	2,52,000/–
3.	30001 से 60000 तक	5,03,000/–
4.	60001 से 100000 तक	9,07,000/–
5.	100001 से 150000 तक	13,59,000/–
6.	150001 से 200000 तक	18,12,000/–
7.	200001 से 250000 तक	20,93,000/–
8.	250001 से 300000 तक	25,11,000/–
9.	300001 से अधिक	27,79,000/–

विदेशी मदिरा

क0सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	वर्ष 2008–09
1.	0 से 6000 तक	1,16,000/–
2.	6001 से 12000 तक	2,27,000/–
3.	12001 से 25000 तक	4,53,000/–
4.	25001 से 50000 तक	9,05,000/–
5.	50001 से 75000 तक	13,57,000/–
6.	75001 से 100000 तक	18,10,000/–
7.	100001 से 125000 तक	22,62,000/–

8.	125001 से 150000 तक	25,07,000 / –
9.	150000 से अधिक	28,25,000 / –

<u>टिप्पणीः–</u>किसी भी दुकान की लाईसेंस फीस गत वर्ष की लाईसेंस फीस से कम निर्धारित नहीं की जायेगी। प्रत्येक दुकान की लाईसेंस फीस गत वर्ष 2008–09 की नीति के अनुरूप वर्ष 2007–08 के वास्तविक उठान के आधार पर तय की जायेगी।

2–न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारणः–

देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी में वर्ष 2008–09 में निम्नानुसार वृद्धि की जायेगीः–

क्र0सं0	वर्ष 2007–08 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या व अतिरिक्त उठान	वृद्धि लक्ष्य
1	जिन दुकानों पर 100 या उससे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए अथवा जिन पर वर्ष के दौरान अतिरिक्त उठान किया गया।	27 प्रतिशत
2	जिन दुकानों पर 51 या उससे अधिक परन्तु 99 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	25 प्रतिशत
3	जिन दुकानों पर 25 या उससे अधिक परन्तु 50 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	20 प्रतिशत
4	जिन दुकानों पर 15 या उससे अधिक परन्तु 24 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	17 प्रतिशत
5	जिन दुकानों पर 2 या उससे अधिक परन्तु 14 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	15 प्रतिशत
6	जिन दुकानों पर 1 अथवा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	10 प्रतिशत

वर्ष 2007–08 में दुकानों पर अतिरिक्त उठान की राशि को दुकान की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़कर आई राशि पर उपरोक्तानुसार वृद्धि की गणना की जायेगी।

3– राजस्व निर्धारणः–

प्रस्तावित नीति के उपरोक्त बिन्दु–2 के अनुसार दुकानवार निर्धारित की गई न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी तथा उपरोक्त बिन्दु–1 के अनुसार निर्धारित लाईसेंस फीस की राशि को जोड़कर वर्ष 2008–09 हेतु दुकानवार राजस्व की राशि का आगणन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारित लाईसेंस फीस के अनुरूप श्रेणीवार अधिकतम् सीमा तक मदिरा का उठान अनुमन्य होगा, अधिकतम् सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री होने पर उस दुकान के अनुज्ञापी को लाईसेंस फीस हेतु निर्धारित अगली उच्च श्रेणी की लाईसेंस फीस देनी होगी।

4–देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटन :–

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित हो जाने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निजी आवेदकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से निर्धारित राजस्व पर देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप (जिसे सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा) पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 10,000/–रू0 की फीस नकद अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित राज्य एवं जिला सहकारी बैंक, अरबन कॉपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्ननैस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन–पत्र शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी। प्रोसेसिंग फी राजकोष में पूर्व की भांति यथावत् जमा की जायेगी। जहां एक दुकान के लिए एक ही आवेदक हो उसे दुकान आवंटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक अपनाई जायेगी, जब तक कि समस्त दुकानें व्यवस्थापित नहीं हो जाती है,

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2008–09 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर भी चलायी जा सकती है। इसके लिये अन्य के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा आवेदन करने पर निर्धारित राजस्व के सापेक्ष दैनिक मूल्य पर दुकान संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो, उसी तहसील के स्थाई निवासियों के आावेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी या विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन के लिये सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम् राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

5–पात्रताः–

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें अग्रलिखित शर्तो के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होंगी किन्तु

अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न न होने की दशा में ऐसे आवेदनों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवेदनों को प्रथम दृष्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेंसिंग प्राधिकारी को होगा। यदि किसी आवेदक के नाम अचत सम्पत्ति नहीं है तो वह अपने परिवार की सम्पत्ति को हैसियत प्रमाण–पत्र के रूप में लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम Morgaged कर हैसियत प्रमाण पत्र प्रापत कर सकते हैं। हैसियत प्रमाण–पत्र की राशि की कमी के एवज में उस राशि के बराबर राशि के बने बैंक ड्राफ्ट (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे जमा कराये जा सकेंगे। अनुज्ञापी का स्थाई रूप से उत्तराखण्ड का निवासी होना अनिवार्य है, अतः दुकान हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

6–देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणनाः–

निकासी हेतु वर्ष 2008–09 के लिये निर्धारित न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विपरीत देशी मदिरा की प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के आधार पर दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारित लाईसेंस फीस के अनुरूप श्रेणीवार अधिकतम् सीमा तक मदिरा का उठान अनुमन्य होगा, अधिकतम् सीमा से अधिक मदिरा की बिकी होने पर उस दुकान के अनुज्ञापनी को लाईसेंस फीस हेतु निर्धारित अगली उच्च श्रेणी की लाईसेंस फीस देनी होगी। जिसके उपरान्त वह उस अगली उच्च श्रेणी की लाईसेंस फीस के विपरीत देय मदिरा की अधिकतम् मात्रा को न्यूनतम् गारन्टीड अभिकर की मूल दर पर उठान सकेगा।

विदेशी मदिरा तथा बियर की निकासी पर फुटकर अनुज्ञापी को प्रति पेटी एसेसमेंट फीस देनी होगी।

7– देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दरः–

(एक) विदेशी मदिरा संदेह उत्पाद शुल्क की दर रू0 56.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देशी मदिरा(36 वी0/वी0 तीव्रता) पर ड्यूटी रू0 75.00 रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

(दो) बियर पर अभिकर की दर गत वर्ष के समान 5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 13 रू0 प्रति ब्लक लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक तथा 8 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता तक की बियर पर 25 रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

8–विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना:–

विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं:–

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 58.00 प्रति बोतल
2. रू0 22.01 से रू0 25.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 60.00 प्रति बोतल
3. रू0 25.01 से रू035.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 65.00 प्रति बोतल
4. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 75.00 प्रति बोतल
5. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 85.00 प्रति बोतल
6. रू0 75.01 से रू0150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 110.00 प्रति बोतल
7. रू0 150.01 से रू0 300 तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 120.00 प्रति बोतल
8. रू0 300.01 से 450.00 एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 150.00 प्रति बोतल
9. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 200.00 प्रति बोतल

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्धारित लेबिल रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करानी होगी।

9–सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेस्मेंट फीस की दरें :–

सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेसमेंट फीस की दरें गत वर्ष के समान रहेंगी।

वर्ष 2008–09 के लिए एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए 5,000/– रू0 लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

(एक) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी:–

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) — रू0 56.00 प्रति ए0एल0

(ब) रियायती रम (कोई परिवर्तन नही) — रू0 45.00 प्रति ए0एल0

(स) बियर–एफ0एल0–9 के अन्तर्गत सिविल मार्केट (एफ0एल0–5) के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(दो) असेस्मेंट फी की दरें:–

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट)/रियायती रम: वर्ष 2007–08 की निर्धारित दरों पर।

(ब) बियर–कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2007–08 की भांति रहेगी।

10– मदिरा का विक्रय मूल्यः–

वित्तीय वर्ष 2007–08 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा का अधिकतम् फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

11–विदेशी मदिरा/बियर के थोक (एफ0एल0–2/2बी) अनुज्ञापन :–

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एफ0एल0– 2/2बी अनुज्ञापन केवल विदेशी मदिरा के निर्माता (Manufacturers/Distilleries/Breweries) को अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2008–09 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य पैक के सम्बन्ध में शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

वर्ष 2008–09 में प्रदेश के थोक विदेशी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 के लिये रू0 2.00 लाख एवं एफ0एल0–2बी के लिये रू0 1.00/– लाख रजिस्ट्रेश फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त एफ0एल0–2/2बी की लाईसेंस फीस प्रति पेटी निम्नानुसार वसूल की जायेगी, जिससे कम बिक्री वाले विदेशी मदिरा के निर्माता (Manufacturers/Distilleries/Breweries) भी अपने ब्राण्डस् प्रदेश में बेच सकेंगे।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिए एफ0एल0–2 हेतु लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए	प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिए एफ0एल0–2 बी हेतु लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
न्यूनतम् दो लाख रूपये के अधीन रहते हुये एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस विदेशी मदिरा की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी वसूल की जायेगी।	न्यूनतम् एक लाख रूपये के अधीन रहते हुये एफ0एल0–2बी की लाईसेंस फीस बियर की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी वसूल की जायेगी।

विदेशी मदिरा की निकासी पर एसेसमेंट फीस की राशि निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः–

क0सं0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0–2/2बी स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेन्ट फीस का प्रस्तावित भार (रूपयों में)
1.	रू0 25.00 तक	80/–
2.	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	115/–
3.	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	125/–

4.	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	140/–
5.	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक	150/–
6.	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	160/–
7.	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक	180/–
8.	450 से ऊपर	200/–
9.	बियॅर एवं वाईन	60/–

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देगें। सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता विदेशी मदिरा के केवल अपने ब्राण्डस् ही उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेंसों एवं एफ0एल0–2/2बी लाईसेंसों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेंस फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार स्लैववार होगा। विदेशी मदिरा व बियर के आयात पर गत वर्ष के समान आयात फीस ली जायेगी।

प्रदेशी के प्रत्येक जिले में एफ0एल0–2 हेतु गोदाम की व्यवस्था आबकारी विभाग द्वारा पी0डब्लू0डी0 की दरों पर प्रत्येक एफ0एल0–2 लाईसेंसी को उपलब्ध कराई जायेगी, इस गोदाम पर आबकारी विभाग के पूर्ण नियंत्रण हेतु आबकारी विभाग का ताला लगा होगा, जिसकी चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के पास रहेगी।

12–गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों में देशी मदिरा की दुकानों/बारों का संचालनः–

गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2007–08 की भॉति केवल विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित की जायेगीं। दुकानों का स्थल निर्धारण सम्बधित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। गढ़वाल मण्डल के उपरोक्त पांच जनपदों में बार/बियर बार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे (शैया) वाले होटल/रिसार्टस, जो मुख्य बियर यात्रा मार्ग से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित हों, को ही स्वीकृत किये जा सकेगें। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेगें।

13–जनपदों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकानें :–

जिलाधिकारियों द्वारा दुकार रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें परन्तु नई दुकान को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व, दुकान की स्थिति यथा– स्कूल, धार्मिक स्थल, चिकित्सालय, मुख्य राष्ट्रीय/राज मार्ग, यात्रा मार्ग एवं मलिन बस्तियों के समीप न हों, एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

14– जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार उपरोक्त प्रस्तर 13 में उल्लिखित मानको के अनुरूप निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का

आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा। यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों तथा उपरोक्त प्रस्तर 13 में उल्लिखित मानकों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेंगें परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं होने दिया जायेगा।

15–बार एवं क्लब बार लाईसेन्सः–

बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर डयटी की दर निम्नानुसार होंगीः–

1. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 75.00
2. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 85.00
3. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 110.00
4. रू0 150.01 से रू0 300.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 120.00
5. रू0 300.01 से रू0 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 150.00
6. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 200.00

उक्त दरों से निम्न दरों की विदेशी मदिरा की बिकी बार एवं क्लब बारों में प्रतिबन्धित रहेगी।

होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार लाईसेन्स निर्गत किये जायेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन से समन्धित अन्य व्यवस्था एवं शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी।

बड़े व्यवसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिकी रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

16–बियर बार लाईसेन्सः–

बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु नीति गत वर्ष के समान रहेगी। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में पके हुए भोजन की बिकी 3.00 लाख रूपयें (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हें रू0 20,000/– (बीस हजार रूपयें) प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगें एवं सीजनल बीयर बार

हेतु लाईसेंस फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी अर्थात रू0 10,000/— (दस हजार रूपये मात्र) होगी।

ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बियर बार लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो।

17—आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापनाः—

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थ रखा जायेगीः—

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु आसवनियों की स्थापना के लिए अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा, इण्डस्ट्रीयल अल्कोहल का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा, परन्तु ऐसे आवेदको को शीरा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी।

(ख) बाटलिंगग प्लान्ट लगाने के लिए प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त विदेशी मदिरा के ब्राण्डस् की भराई हेतु प्रस्वाव प्राप्त होने पर बॉटलिंग प्लांट का अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा। छोटे निर्माताओं के लिए एफ0एल0एम0—3 लाईसेंस की कम बोतल भराई की श्रेणी समानुपातिक लाईसेंस फीस के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा शासन की पूर्वानुमति से बनाई जायेगी।

व्हिस्की,ब्राण्डी, रम व जिन की भराई हेतु एफ0एल0—3ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0—3 के समान लाईसेंस फीस संदेय होगी। इन लाईसेंसों के अन्तर्गत भरी गयी विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर क्रमशः रू0 4.00/—, रू0 2.00/— तथा रू0 1.00/— बाटलिंग फीस देय होगी अन्य पैकों में भरी विदेशी मदिरा समानुपातिक दर से बॉटलिंग फीस देय होगी। निर्यात की दशा में सम्बन्धित विनिर्माणशाला को निर्यात फीस एवं अन्य ऐसे देय जो शासन समय—समय पर निर्धारित करेगा, अदा करने होंगे।

एफ0एल0—3ए के अन्तर्गत बियर की भराई की स्थिति में बोतल भराई फीस रू0 0.50 प्रति बोतल व रू0 0.30 प्रति अद्धा के अतिरिक्त रू0 0.25 प्रति बोतल व रू0 0.15 प्रति अद्धा एफ0एल0—3ए की लाईसेंस फीस अधिरोपित की जायेगी।

एफ0एल0—3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की भराई की स्थिति में प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर क्रमशः रू0 2.00, 1.00, 0.70 बाटलिंग फीस देय होगी। अन्य पैकों में भरी विदेशी मदिरा पर समानुपातिक दर से बॉटलिंग फीस देय होगी। प्रदेश से निर्यात की जाने वाली विदेशी मदिरा पर एफ0एल0—3, एफ0एल0—3ए व एफ0एल0एम0—3 लाईसेंस के अन्तर्गत बॉटलिंग फीस में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी।

(ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा तथा वाईन किन धारिता की बोतलों में भरी जायेगी इसके निर्धारण हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत होंगे। इसके अतिरिक्त गत वर्ष के समान ड्राफ्ट बियर की बिकी की अनुमति बारों/कैन्टीनों में दी जा सकेगी। राज्य के फल उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुये प्रदेश में नयी विन्टनरी द्वारा यदि उत्पादित वाईन का शत-प्रतिशत निर्यात किया जायेगा, तो विन्टनरी की स्थापना के पांच वर्षो तक बॉटलिंग फीस नहीं ली जायेगी।

(घ) वित्तीय वर्ष 2008-09 में एफ0एल0-2/2बी के अन्तर्गत 8 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली अल्कोहलिक ब्रिवरेजस को बेचने की अनुमति दी जायेगी, जिसमें उपस्थित अल्कोहल की मात्रा पर रू0 56.00 प्रति अल्कोहल लीटर की दर से उत्पाद शुल्क वसूल किया जायेगा। इस प्रकार के ब्रिवरेजस किन धाारिता की बोतलों में बेची जायेगी, इसका निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा शासन की पूर्वानुमति से किया जायेगा।

18-गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्टः-

पेट्रोल में मिलाने हेतु एनहाइड्रस अल्कोहल का निर्माण करने के लिए आसवनी स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस दिये जाने पर विचार किया जायेगा, परन्तु ऐसे आवेदकों को शीरा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी।

19- देशी एवं विदेशी मदिरा(केवल सिविल सप्लाई हेतु) की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहीसिव लेबिल जगाये जायेंगे। विदेशी मदिरा के लेबिल्स पर बार कोडिंग की व्यवस्था राज्य में भी यथाशीघ्र लागू की जायेगी।

20-विदेशी मदिरा की भराई के लिए पुरानी बोतलों के पूर्व से हो रहे उपयोग को देखते हुये देशी मदिरा की भराई हेतु भी नई बोतलों के साथ-साथ उततराखण्ड एम्बोस्ड पुरानी साफ शीशे की बोतलों को देशी मदिरा भरने हेतु प्रयोग में लाया जा सकेगा।

21- जनपद में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से सी0एल0-2 अनुज्ञापन प्रत्येक जनपद में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेगें, जिसका अनुज्ञापन शुल्क शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा जनपद में देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर तीनों आसवनियों में राज्य स्तर पर विभिन्न जनपदों की मांग अनुसार यथासंभव कम से कम तीन बराबर भागों में विभाजित कर निर्धारित की जायेगी। यदि सी0एल0-2 अनुज्ञापी सरकारी गोदामो के परिसर से देशी मदिरा की थोक बिकी करना चाहते हैं तो उसे सम्बन्धित परिसर का बाजार मूल्य पर किराया देना होगा। किराया का निर्धारण

लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारी द्वारा निर्धाति किया जायेगा।

22–विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए विदेशी मदिरा, बियर एवं ई0एन0ए0 को देश के बाहर निर्यात किये जाने हेतु नियमों में आवश्यक व्यवस्थायें बनायी जायेंगी।

23–भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित व्यवस्था यथावत् रहेगी।

25–रेस्त्रां बार, तीन सितारा एवं पांच सितार होटलों की लाईसेंस फीस विगत वर्ष 2007–08 में निर्धारित लाईसेंस फीस के डेढ़ गुना होगी। क्लब बार परमिट धारकों की वार्षिक फीस में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। ओकेजनल बार लाईसेंस हेतु रू0 2000/– प्रतिदिन लाईसेंस फीस होगी। प्राइवेट बैक्वेट (ठंदुनमज) हाल एवं होटलों को ओकेजनल बार लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आबकारी विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन फीस रू0 1,000/– होगी।

25–वित्तीय वर्ष 2008–09 में मदिरा की दुकानों प्रातः 11:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खोली जायेंगी।

27–अनुज्ञापियों/बॉण्ड धारकों द्वारा अन्य प्रदेशों से लाई जा रही मदिरा/बियर तथा प्रदेश के अन्दर थोक आपूर्ति हेतु परिवहित की जा रही देशी/विदेशी मदिरा/बियर का परिवहन केवल निर्धारित मार्ग (Route) से ही अनुमन्य होगा एवं वर्ष 2007–08 में लागू की गई व्यवस्था वर्ष 2008–09 में भी जारी रहेगी। निर्धारित मार्ग के अतिरिक्त मदिरा का परिवहन होने पर उसे अवैध मानते हुए राज्य के पक्ष में जब्त किया जायेगा तथा तद्नुसार सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

28–राज्य में मदिरा के अर्वध व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी विभाग के प्रिवेन्टिव क्षेत्रों में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों को रिवाल्वर तथा उप आबकारी निरीक्षकों, प्रधान आबकारी सिपाहियों व आबकारी सिपाहियों को बन्दूकें उपलब्ध करायी जायेगी।

29–अन्य शेष व्यवस्थाऐं विगत वर्ष 2007–08 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

डा0 रणबीर सिंह,

सचिव।